

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1**  
**संख्या-05/2018/327/सत्ताईस-1-2018-41/2017**  
**लखलऊ: दिनांक 25 जनवरी 2018**

**विज्ञप्ति/प्रोन्नति**

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के सिविल संवर्ग के निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैंड-4 वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड पे 8700 में एतदद्वारा नियमित पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1	2
1	जानेन्द्र शरण
2	शरद कुमार सिंह
3	अवधेश कुमार शर्मा
4	विजय कुमार
5	कुलदीप श्रीवास्तव
6	संतोष कुमार सिंह
7	प्रभाकर प्रसाद
8	प्रभात कुमार दुबे
9	देवेश शुक्ला
10	सर्वेश कुमार श्रीवास्तव
11	विष्णु कुमार अग्रवाल
12	जान प्रकाश श्रीवास्तव
13	न्याज अहमद
14	अम्बुज दिवेदी
15	दिनेश सिंह
16	संदीप कुमार खरे
17	आनन्द कुमार आनन्द
18	भानु प्रताप सिंह
19	अजय कुमार झा
20	राकेश कुमार गुप्ता
21	दिनेश कुमार मिश्रा

2- उक्त अभियन्ताओं की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

टी0 वेंकटेश  
प्रमुख सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**संख्या: 05/2018/327(1)/सत्ताईस-1-2018 तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 3- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन/ प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 9- समस्त अनुभाग।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओ0पी0 सिंह  
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।